

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जून 2016—आषाढ़ 1, शक 1938

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2016

क्र. एफ 1-2-2016-1-उनसठ.—राज्य शासन, एतद्वारा, दिनांक 30 मार्च 2016 को अधिसूचित "मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग परीक्षा (म. प्र. पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2016" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम के नियम 3.1 (3) में, "फोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर (चौड़ाई) एवं लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है" के स्थान पर "फोटो का आकार 4.5 सेंटीमीटर (चौड़ाई) एवं लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है" प्रतिस्थापित किया जाय.

No. F 1-2-2016-1-LIX.—The State Government hereby makes following amendment in the "Madhya Pradesh Pre Ayurved, Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga Test (MP PAHUNT) Undergraduate Entrance Examination Rules, 2016" notified on 30th March 2016, namely:—

AMENDMENT

In the rule 3.1 (3) of the said rules, "The size of photograph should be 3.5 cm breadth and 4.5 cm length" shall be replaced by "The size of photograph should be 4.5 cm breadth and 4.5 cm length".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.